

40. एक्सटन्शन सामन्त कारखाना और अन्य सामन्त उत्पाद (विनिर्माणखाल)
41. जालड़ी और धुलाई अधिष्ठान।
42. जिलदसाजी।
43. कोल्ड स्टोरेज।
44. पाटरी, सिरेमिक्स या रिफ़्रिजरीज।
45. निजी भूदशालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा उद्योग।
48. सिलाई उद्योग।
49. एलेक्ट्रिकल आयुर्वेदिक युवांनी फार्मसी।
50. शलक।
51. इयकरवा(सिलक जो साकी को युनाई) जरी के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रसकन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का घूर्ण या प्रवालक विनिर्माण।
53. फ़नी फ़ाबल बनाने के अधिष्ठान।
54. खाण्डसारी।
55. इयकरवा उद्योग।
56. शक्ति चालित करवा उद्योग।
57. छोटा(मिनीएयर) बल्ब एडम जोच उत्पादों के निर्माण।
58. कागज गुत्ता और पेपर थर्ड उद्योग।
59. ईट मटका उद्योग।
60. ताला उद्योग के नियोजन में।
61. पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद का विनिर्माण के नियोजन।
62. किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें इथियार सहित/इथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
63. बुझाने और सफ़ाई में नियोजन, जिरामे सफ़ाई कर्मचारी नियोजन एवं गुच्छ सौकालयों का निर्माण(प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत के विधिद क्रिया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
64. घरेलू कामगारी का नियोजन।
65. कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
66. एलजीडीओ वितरण एवं संबन्धित सेवाओं में नियोजन।
67. टैक्सिज, आटोरिक्सा/टैम्पो एवं ट्रेडिंग अभिकरण में नियोजन।
68. कोबिल अपरेटर एवं संबन्धित सेवाओं में नियोजन।
69. गैर सरकारी संगठन(एनजीओ) एवं संबन्धित सेवाओं में नियोजन।
70. विद्वय संवर्धन(विकय संवर्धन(सेवा शर्त)अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अध्या सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
71. हेयर कटिंग सैलून एवं ल्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
72. कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73. काल सेन्टर/आईटी/इन्टरनेट/टेलीकारिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
74. एते प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आध्यादित न हों में नियोजन।

(सियाराम)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
श्री श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

पत्र सं० 1362-89 संख्या प्रवर्तन-(एम०एल०)/15 दिनांक 8/10/2020

प्रतिलिपि-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीलक्ष्य अधिकारियों को अवगत करावे तथा श्रमिकों, सेवायाजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा तौंगे जाने पर उपलब्ध करावे।
2. अनुसूचित उ०प्र०शासन, श्रम अनुभाग-3 लखनऊ।
3. सहायक निदेशक श्रम एवं रोजगार सञ्चालय, (बीज सेल) भारत सरकार नई ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से।
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
5. उप श्रम आयुक्त (आई० आर०) मुख्यालय, कानपुर।
6. अपर श्रम आयुक्त (कम्प्यूटर) मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विनागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमराज कुमार, पुस्तकालयध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखाध्यक्ष प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जगदित में निशुल्क प्रकाशनाथ।

(सियाराम)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
श्री श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

“पुष्पा गणपद्री अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजना म देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या-194/36-3-2014-07 (न्यू0वे0)/4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03-2019-931(न्यू0वे0)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजना में नियोजित कर्मकारो हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष (2001-100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जनवरी 2020 से जून 2020 के औसत अंक 329 अंकों पर दिनांक: 1.10.2020 से दिनांक: 31.3.2021 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त- रूपये-5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक-329 पर दिनांक: 01.10.2020 से दिनांक: 31.3.2021 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।
(329 -216)

..... X 5750= ₹0 3008/-प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी परिवर्तनीय महगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् हैं:-

क्रमक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	प्रतिमाह परिवर्तनीय महगाई भत्ता रूपये में		दिनांक:1.10.2020 से 31.3.2021 तक	
			दिनांक:1.4.2020 से 30.9.2020 तक	दिनांक:1.10.2020 से 31.3.2021 तक	कुल मजदूरी (रूपये में)	दैनिक मजदूरी (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	2875.00	3008	8758	336.85
2	अर्धकुशल	6325	31.62.50	3309	9634	370.53
3	कुशल	7085	3542.50	3706	10791	415.04

नियोजन के नाम:-

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
- मिष्ठान उद्योग।
- वासित पेयों (एसोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी (फ्लाइवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
- डेरी और मिल्क डेरी।
- सिले सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- बॉघ तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन सनस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
- ढलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शॉपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
- चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी सकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक सस्थाएँ भी सम्मिलित हैं।
- तम्बाकू विनिर्माण।
- धर्मशाला।
- वानिकी (फारेस्ट्री)लट्टा बनाने और काष्ठ कार्य,जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- दुकानों में
- वाणिज्य अधिष्ठानों में।
- चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- तेल मिल।
- लोक मोटर परिवहन।
- यॉत्रिक परिवहन कर्मशाला।
- आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
- सडकों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संकियाओं।
- पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
- चिकन के कार्य।
- दियासलाई उद्योग।
- आइसकैण्डी/आइसकीम विनिर्माणशाला।
- बेकरी और बिरकुट विनिर्माणशाला।
- बर्फ विनिर्माणशाला।